महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-परिवाद/ 26808-916 दिनांक:-11.09.2014

आदेश

वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत जेलों पर बंदियों से मुलाकात करने हेतु परिजनों द्वारा मुलाकात पर्ची प्रस्तुत करनी होती है जिसके आधार पर बंदियान मुलाकात प्रणाली(विजिटर्स मैनेजमेन्ट सिस्टम)में प्रविष्टियां की जाती हैं। मुलाकात पर्ची का शुल्क 2.00 रुपये निर्धारित है।

समय-समय पर बंदियों के परिजनों से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूल किये जाने की शिकायतें प्राप्त होती हैं। इस समस्या के निवारण हेतु निम्न व्यवस्था आदेशित की जाती है:-

1- मुलाकात पर्ची बनाने के स्थान पर सूचना-पट्ट लगाया जावे। सूचना-पट्ट में निर्धारित शुल्क तथा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने पर जिस अधिकारी को सूचना/शिकायत की जानी है, उसका नाम एवं टेलीफोन/मोबाईल नम्बर अंकित किया जावे।

2- मुलाकात पर्ची पर शुल्क राशि की सील अंकित की जावे।

3- समय-समय पर जेल अधिकारियों द्वारा जानकारी कर सुनिश्चित किया जावे कि निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूल नहीं की जा रही है।

4- मुलाकातियों की संख्या अधिक होने पर एक से अधिक अर्जी नवीस लगाये जावें।

5- अर्जी नवीस बाबत् पुलिस सत्यापन कराया जावे।

(भूपेन्द्र कुमार दक)
अति.महानिदेशक कारागार
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि :-

1- महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान, जयपुर

2- उप महानिरीक्षक कारागार, रेंज कार्यालय, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर

3- समस्त अधीक्षक/ उपाधीक्षक, केन्द्रीय/जिला कारागृह, राजस्थान

4- उपाधीक्षक, महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर/जोधपुर

5- प्रभाराधिकारी, समस्त उप कारागृह, राजस्थान

अति.महानिदेशक कारागार
राजस्थान, जयपुर